

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- मुबारकपुरचोरी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार; 04 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 18.09.2023 को उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान सबा हास्पिटल के पास से सस्ते दाम में मोबाइल बेच रहे संदिग्ध व्यक्ति हसन रजा उर्फ पठान पुत्र अंसार अहमद निवासी पुराख्वाजा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करिब 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 04 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 458/2023 धारा 411/413/414 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मुन्नालाल द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- हसन रजा उर्फ पठान पुत्र अंसार अहमद निवासी पुराख्वाजा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी:- चोरी के 04 मोबाइल फोन

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 458/2023 धारा 411/413/414 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 121/2019 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी जौनपुर

2- मु0अ0सं0 123/2019 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी जौनपुर

3- मु0अ0सं0 138/2019 धारा 21/8 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी जौनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी

हे0का0 सुधीर कुमार

का0 सद्दाम हुसैन अंसारी, का0 सोनू यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलियामारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 29.07.23 को अभियुक्तो 1. उमापति पुत्र स्व0 बखेडू 2. अनिल पुत्र उमापति 3. महेन्द्र पुत्र स्व0 बखेडू 4. अश्वनी पुत्र महेन्द्र 5. रवीन्द्र नाथ पुत्र स्व0 दुखीराम (प्रकाश मे) समस्त निवासी बसहिया ने वादी मुकदमा विक्रांत पुत्र विजय कुमार आनन्द के चाचा अरूण कुमार आनन्द पुत्र खडभान निवासी ग्राम बसहिया को आबादी की जमीन को लेकर गाली- गलौज देते हुए मारापीटा तथा जान से मारने की धमकी दिये जिसके आधार पर थाना स्थानयी पर मु0अ0सं0 221/23 धारा 308/323/504/506 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 19.09.2023 को उ0नि0 हिरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अश्वनी पुत्र महेन्द्र उर्फ जगन्नाथ निवासी बसहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को अतरौलिया बस स्टैण्ड से समय करिब 11.40 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 221/23 धारा 304/323/504/506/34 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अश्वनी पुत्र महेन्द्र उर्फ जगन्नाथ निवासी बसहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हिरेन्द्र प्रताप सिंह 2. का0 मुकेश गुप्ता थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना- बिलरियागंज

चोरी की 02 मोटर साइकिल व नगदी के साथ अन्तर्जनपदीय 02 चोर गिरफ्तार

आज दिनांक 19.09.2023 को उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह द्वारा गोरिया नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति/ वाहनो की चेकिंग के दौरान 01 02 मोटर साइकिल से 02 व्यक्ति नसीरपुर की तरफ से नहर के रास्ते पर मोटर साइकिल सवारो को हिरासत लेकर नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम राजकुमार पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गड़ेरी पट्टी थाना जीयनपुर जनपद- आजमगढ़ बताया जिसके कब्जे से 750 रूपये तथा चोरी की पैशन प्रो0 मोटर साइकिल बरामद किया गया। तथा दूसरे ने अपना नाम चन्दन पुत्र भुल्लर निवासी ग्राम कालेपुर थाना दीदारगंज जनपद -आजमगढ़ बताया जिसके कब्जे से 650 रूपये नगद तथा चोरी की पैशन प्रो मोटर साइकिल बरामद किया गया ।

➡ गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि हम दोनो साथी है जो हम लोगो के पास जो मोटर साइकिल है वह चोरी की है जिसे अम्बेडकर नगर जनपद से चुराया गया था । कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये की हम लोग रेलवे स्टेशन तथा भीड़ भाड़ वालो स्थानो पर मोबाईल चोरी , पर्स चोरी तथा कभी- कभी रात्रि मे दुकानो का ताला तोड़कर चोरी भी कर लिया करते है।

➡ दिनांक 11.08.23 की रात्रि मे पटवध सरैया बाजार मे किराने की दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अन्दर से सरसो का तेल 04 पेटी बैल कोल्हु तथा कुछ नगदी लगभग 8500/ रूपये मिलकर चोरी किये थे । नगद पैसे जो हम लोगो के पास है।

➡ दिनांक 11.08.2023 को पटवध सरैया बाजार किराने की दुकान से जो नगदी चोरी के शेष बचे पैसे है । अभियुक्तगणो के द्वारा चेचिस नम्बर को खुरचकर नम्बर प्लेट को फर्जी लगाकर अनुचित लाभ के लिये इस्तेमाल किया गया है । अभियुक्तगणो का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 41/411/420/467/468/471 भा0द0वि0 का दण्डनीय अपराध है कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 08.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता-

1. राजकुमार पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गड़ेरी पट्टी थाना जीयनपुर जनपद- आजमगढ़ ।
2. चन्दन पुत्र भुल्लर निवासी ग्राम कालेपुर थाना दीदारगंज जनपद –आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 336/2023 धारा 41/411/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
- बरामदगी- चोरी की 02 मोटर साइकिल व 1400 रूपया नगद ।

अपराधिक इतिहास –

राजकुमार पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गड़ेरीपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	107/2019	8/20 NDPS ACT	अहरौला	अजमगढ़
2	46/2023	41/411 IPC	शाहगंज	जौनपुर
3	47/2023	8/22 NDPS ACT	शाहगंज	जौनपुर
4	229/2020	8/20 NDPS ACT	शाहगंज	जौनपुर
5	07/2023	4/25 ARMS ACT	आलापुर	अम्बेडकरनगर
6	336/2023	41/411/420/467/468/471 भा0द0वि0	बिलरियागंज	आजमगढ़

चन्दन पुत्र भुल्लर निवासी ग्राम कालेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	81/2013	109/41 IPC	जी.आर.पी	आजमगढ़
2	350/2013	109/41 IPC	देवगांव	आजमगढ़
3	202/2012	8/20 NDPS ACT	बरदह	आजमगढ़
4	1942/2017	380/411 IPC	लाइन बाजार	जौनपुर
5	102/2013	109/41 IPC	कोतवाली	जौनपुर
6	336/2023	41/411/420/467/468/471 भा0द0वि0	बिलरियागंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. हे0का0 प्रमोद कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 आशीष कुमार पटेल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 चन्दन सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
5. का0चन्द्रकान्त यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना- फूलपुर

चोरी के वाहन के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार; अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद

दिनांक 18-09-2023 उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह व उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह (SOG) को सूचना मिली कि चोरी की गाडी से 06 लोग अवैध असलहा कारतूस के साथ पलिया माफी पुलिया की तरफ आ रहे है। इस सूचना पर उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह व उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह (SOG) के साथ पलिया माफी पुलिया पर बैरियर लगाकर चेकिंग प्रारम्भ की गयी कुछ देर बाद बोलैरो वाहन आता हुआ दिखायी दिया जिसे रोका गया तो वाहन रूकते ही 04 व्यक्ति बोलैरो का दरवाजा खोलकर मौके से फरार हो गये तथा चालक वेद प्रकाश गौतम पुत्र जवाहर लाल साकिन सण्डीला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 33 वर्ष व उसके बगल मे बैठे अवधेश गुप्ता पुत्र स्व0 वीरेन्द्र गुप्ता निवासी ताला थाना कन्धई हनुमानगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 44 वर्ष पलिया माफी पुलिया से समय करीब 23.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वेद प्रकाश गौतम के पास से 01 कट्टा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिसके विरुध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 412/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तो 1. वेद प्रकाश गौतम पुत्र जवाहर लाल साकिन सण्डीला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, 2. अवधेश गुप्ता पुत्र स्व0 वीरेन्द्र गुप्ता निवासी ताला थाना कन्धई हनुमानगंज जनपद प्रतापगढ़ 3. पाँचू पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात, 4. सोनू भारती उर्फ संजीत पुत्र मुकेश साकिन सोहऊली थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 5. गोविन्द नोना पुत्र अज्ञात निवासी माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ 6. विक्रम पुत्र अज्ञात निवासी अतरडीहा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर के विरुध मु0अ0सं0 411/23 धारा 41/411/473 भादवि पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1- वेद प्रकाश गौतम पुत्र जवाहर लाल साकिन सण्डीला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 33 वर्ष
- 2- अवधेश गुप्ता पुत्र स्व0 वीरेन्द्र गुप्ता निवासी ताला थाना कन्धई हनुमानगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 44 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की बोलैरो गाडी नं0 UP62X 3166 व
01 कट्टा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 411/23 धारा 41/411/473 भादवि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 412/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 411/23 धारा 41/411/473 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

मु0अ0सं0 412/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1- उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
- 2- SOG प्रभारी उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला जनपद आजमगढ़ ।

थाना- बरदह

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास- दिनांक 14.09.23 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री को आशीष राय पुत्र अनिल राय ग्राम भैसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले ले गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 377/23 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत कर विवचेना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 19.09.2023 को उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष राय पुत्र अनिल राय ग्राम भैसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को जिवली मोड़ से समय करिब 12.40 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- . आशीष राय पुत्र अनिल राय ग्राम भैसकुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
2. हे0का0 मनोज यादव थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 विनोद कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- देवगांव

चोरी के सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.08.2023 को वादिनी मुकदमा सीमा राय पत्नी जयप्रकाश राय निवासी ग्राम माधोपुर धरांग थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी थी कि वादिनी की भांजी ज्योति राय ने सुभम राय के साथ वादिनी के घर से 02 सोने की चैन, 03 सोने की अंगुठी, 02 सोने की बाली, 01 टप्स व 7500 रूपया चोरी किया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 393/2023 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 गौरव कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 19.09.2023 को उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम राय पुत्र अशोक राय ग्राम चौकी थाना बरदह आजमगढ़ को गोसाईगंज बाजार से समय करीब 13.35 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 एप्पल का मोबाइल, 01 चैन पीली धातु तथा 01 अंगुठी बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण- शुभम राय ने बताया कि मैं व मेरी प्रेमिका ज्योति राय ने मिलकर दिनांक 19.08.2023 को ज्योति के मामा के घर से 02 चैन, 02 अंगुठी व 02 सोने की बाली व टप्स तथा 7500 रुपये चुराये थे। एक चैन व एक अंगुठी मेरे पास थी तथा अन्य जेवरात बेचकर प्राप्त रुपये से हम लोगो ने एप्पल का एक मोबाइल खरीदा था जो मेरे पास मौजूद है। आज मैं अपने पास की चैन व अंगुठी बेचने हेतु आया था किन्तु आप लोगो ने पकड़ लिया। मेरे पास से बरामद चैन व अंगुठी ज्योति राय के मामा के घर से चुराये गये सामानो मे से है तथा मोबाइल हम लोगो ने ज्योति राय के मामा के घर से अंगुठी, सोने की बाली, टप्स बेचकर प्राप्त रुपये से खरीदा था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 393/2023 धारा 379,411 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़ जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- 01 अदद एप्पल का मोबाइल, 01 अदद चैन पीली धातु तथा 01 अदद अंगुठी

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शुभम राय पुत्र अशोक राय ग्राम चौकी थाना बरदह आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गौरव कुमार सिंह थाना देवगांव, आजमगढ़

2. हे0का0 अविनाश यादव थाना देवगांव, आजमगढ़

3. का0 सुरेश यादव थाना देवगांव, आजमगढ़

थाना – कप्तानगंज

दिनांक 19.09.2023 को माननीय न्यायालय (जे.एम.) आजमगढ़ द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2002 धारा 323/504/506 भादवि0 से संबंधित अभियुक्तो 1.अमरजीत पुत्र सतदेव, 2. हरिकेवल पुत्र अमरजीत 3. विनय केवल पुत्र अमरजीत समस्त निवासी गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुये कुल 3750/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना – अहरौला

दिनांक 19.09.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधिश(FTC-1) आजमगढ़ द्वारा थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 742/2010 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त 1. नरेश यादव पुत्र नथई यादव निवासी हैदराबाद रसूलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना – गम्भीरपुर

दिनांक 19.09.2023 को माननीय न्यायालय (जे.एम.) आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2004 धारा 323/504/506 भादवि0 से संबंधित अभियुक्तो 1.महंगू पुत्र स्व0 रामनाथ, 2. सुरस्ती पत्नी महंगू समस्त निवासी धरनीपुर विस्था थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुये कुल 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।